

A DEVELOPMENTAL STUDY OF WOMEN'S EDUCATION IN POST-INDEPENDENCE INDIA

भारत में स्वतन्त्रता के पांच चात स्त्री फ़िल्म का विकासात्मक अध्ययन

1- Dr. DEVENDRA SINGH CHAMYAL,
ASSISTANT PROFESSOR, FACULTY OF EDUCATION, SOBAN SINGH JEENA
UNIVERSITY CAMPUS, ALMORA (UTTARAKHAND)

2- Dr. DEVENDRA SINGH BISHT,
ASSOCIATE PROFESSOR, FACULTY OF EDUCATION, SOBAN SINGH JEENA
UNIVERSITY CAMPUS, ALMORA (UTTARAKHAND)

3- Dr. AJAY SINGH LATWAL
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF EDUCATION, GOVERNMENT
WOMEN POSTGRADUATE DEGREE COLLEGE, HALDWANI

4- SHAILJA KARKI,
M.Ed. STUDENT, FACULTY OF EDUCATION, SOBAN SINGH JEENA
UNIVERSITY CAMPUS, ALMORA (UTTARAKHAND)

डॉ० देवेन्द्र सिंह चम्याल¹, डॉ० देवेन्द्र सिंह बिश्ट², डॉ० अजय सिंह लटवाल³ & भौलजा कार्की⁴

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, फ़िल्म संकाय सोबन सिंह जीना वि विद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
2. एसोसिएट प्रोफेसर, फ़िल्म संकाय सोबन सिंह जीना वि विद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
3. असिस्टेंट प्रोफेसर, फ़िल्म गास्त्र विभाग, राजकीय महिला पी०जी० डिग्री कॉलेज, हल्द्वानी
4. एम०एड० छात्रा, फ़िल्म संकाय सोबन सिंह जीना वि विद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ईमेल— deepu.chamyal666@gmail.com

सारांश— 1— भारत में प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक, सभी दृष्टिकोणों से पुरुशों के समकक्ष थी। वैदिक युग में वे मन्त्रों की द्रष्टा थी। बाद में उनकी इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। वेदों के समय उनके संस्कार पुरुशों के ही समान थे, स्मृतियों के समय स्त्रियों के लिए विवाह, पति—सेवा एवं गृह कार्य क्रम। उपनयन, आश्रमों की फ़िल्म एवं संध्यावंदन के तुल्य समझे जाने लगे। इस प्रकार धीरे—धीरे नारियों से वेदपाठ, फ़िल्म एवं संध्यावंदन पृथक कर लिये गए। भानै: भानै: उनकी स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। परिणाम यह हुआ कि यज्ञों में भाग लेने वाली नारी अब दासी हो गई एवं पति के सुख का साधनमात्र रह गई। मध्यकाल में उसे और अधिक परतन्त्र बनाया गया। यही स्थिति बीसवीं भाताब्दी के प्रारम्भ तक बनी रही। स्त्रियों को इस दयनीय स्थिति में धकेलने का उत्तरदायित्व पुरुशों पर है। भारतीय विचारधारा स्त्रियों का बड़ा आदर करती है। अज्ञानतावा भारतीयों के विचारों का भोशण करके स्त्रियों की दाँड़ा भोचनीय बना दी।

स्वतन्त्र भारत में स्त्री-प्रक्षा की अत्यधिक प्रगति हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्राथमिक प्रक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाएं उस आयु (6–11वर्ष) की समस्त बालिकाओं की केवल 2.5 प्रति तत थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 34.7 प्रति तत बालिकाएं प्रारम्भिक प्रक्षा प्राप्त करने लगी। माध्यमिक स्कूल में प्रथम योजना के प्रारम्भ में 5 प्रति तत बालिकाएं थीं और इस योजना के अन्त में वह प्रति तत 8.5 हो गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.46 प्रति तत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दे 1 में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध की 51 घटनायें हो रही हैं और इतने ही समय में तीन लोगों की हत्या हो जाती है जो कि सोचनीय विशय है। राष्ट्रीय स्त्री प्रक्षा परिशद की स्थापना सन् 1959 में की गयी।

मुख्य शब्द— भारत, स्वतन्त्रता, स्त्री, प्रक्षा, ऐतिहासिक, पृष्ठभूमि।

प्रस्तावना— समाज व परिवार में नारी की कई भूमिकाएँ हो जाती हैं जैसे— सास—बहू, माँ—बेटी, बहन, सखी, सहकर्मी, जेठानी—देवरानी एवं ननद—भाभी, आदि। नेपेलियन के अनुसार—“मुझे सुनि अक्षित माताएँ दो, मैं एक सुनि अक्षित राश्ट्र का निर्माण कर दूँगा”। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)(05 / 12 / 2023) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दे 1 में हर घंटे 51 महिलाएं अपराध की प्रक्षा कर रही हैं और इतने ही समय में तीन लोगों की हत्या हो जाती है। 19 महानगरों में स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है, जहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2021 की तुलना में 2022 में 12.3 फीसदी बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दे 1 में 2022 में हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन औसतन 78 हत्याएं हुई। 2021 में यह आंकड़ा 29,272 और 2020 में 29193 था, वहीं 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए जो 2021 के 4,28,278 मामलों की तुलना में चार फीसदी अधिक है। पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के साथ हुए बलात्कारों में 40 प्रति तत का इजाफा हुआ, छेड़खानी में 60 प्रति तत व दहेज को लेकर वारदातों में 50 प्रति तत की वृद्धि हुई है। 1901 में लिंगानुपात 972, 1991 में लिंगानुपात घटकर 918 रह गया व 2011 में लिंगानुपात 943 है। जनगणना, 2011 के अनुसार भारत की प्रभावी साक्षरता दर 78% है। पुरुशों एवं महिलाओं की साक्षरता दर 80.9% एवं 64.9% है। सन् 1947 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या लगभग 24 थी जबकि वर्तमान में 78 है। 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम बना दिया गया।

प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक 2021–22 में छात्राओं का नामांकन 122891568 है। 2020–21 में वि विद्यालयों की संख्या 1113 हो गयी तथा कॉलेजों की संख्या 43,796 हो गयी है। 10.5% कॉलेज (4375) वि शैर रूप से महिलाओं के लिए है जबकि केवल 0.2% (72 कॉलेज) वि शैर रूप से पुरुशों के लिए है। गैर प्रक्षण कर्मचारियों की संख्या 13,95,868 है, जिनमें से लगभग 65.9% पुरुश तथा 34.1% महिलाएं हैं। प्रति 100 पुरुश प्रक्षकों पर 75 महिला प्रक्षक हैं। दुरुस्थ माध्यम से 48.7% महिलाएं प्रक्षा ले रही हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में दि 0 31.12.2002 तक विद्यार्थियों की नामांकन संख्या 292251 है, जिसमें से 169432 (57.97%) लड़के व 122819 (42.03%) लड़कियाँ हैं।

यू-डाइस (2021–22) (तीन नवम्बर 2022) में दिये गए आकड़ों के अनुसार प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की कुल नामांकन संख्या 25.57 करोड़ है जिसमें से 13.28 करोड़ छात्र व 12.28 करोड़ छात्राएँ हैं। जबकि 12.28 करोड़ छात्राओं में से 0.4 करोड़ पूर्व-प्राथमिक, 5.8 करोड़ प्राथमिक, 3.2 करोड़ उच्च प्राथमिक, 1.8 करोड़ माध्यमिक तथा 1.4 करोड़ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हैं। सन् 2021–22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रक्षकों की कुल संख्या 95.87 लाख है जबकि 2020–21 में 97.87 लाख थी। 2020–21 में महिला प्रक्षिकाओं की संख्या 48.77 लाख है और 51.30 लाख प्रक्षक हैं। सन् 1950–51 में अध्यापिकाएँ निम्न प्राथमिक स्कूलों में 18%, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 18%, माध्यमिक स्कूलों में 19%, व्यावसायिक स्कूलों में 23%, व्यावसायिक कॉलेजों में 7% एवं उच्च प्रक्षा संस्थाओं में 10% हैं।

वर्ष 1946–47 में प्राथमिक प्रक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) में 37,96,673, माध्यमिक प्रक्षा में 3,36,862, उच्च स्नातक एवं परास्नातक में 23,207 एवं अध्ययनरत छात्राओं की कुल संख्या 41,56,732 थी।

भारत सरकार के प्रक्षा मंत्रालय ने उच्च प्रक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020–21 (29 जनवरी 2022) में जारी की गयी है, रिपोर्ट के अनुसार 2019–20 में महिला नामांकन 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। 2014–15 से अब तक लगभग 44 लाख (28%) की वृद्धि हुई है। 17 वि विद्यालय और 4,375 कॉलेज वि शैर रूप से महिलाओं के लिए हैं। प्रक्षकों की कुल संख्या 15,51,070 है जिसमें से

लगभग 57.1% पुरुश और 42.9% महिलाएँ हैं। 1901 में समग्र साक्षरता 5.35 प्रति लाख थी जिसमें से महिला साक्षरता 0.60 प्रति लाख थी। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) में लड़कियों का प्रति लाख 43.7 प्रति लाख है, उच्चतर प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में यह 40.1 प्रति लाख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 9 व 10) में 38.6 प्रति लाख तथा उच्चतर दशक स्तर में यह दर 36.9 प्रति लाख है। 2021 में ग्रामीण इलाकों में 28 फीसदी प्राथमिक स्कूल दशक महिलाएँ हैं जबकि भाहरी इलाकों में यह आकड़ा 69 फीसदी है।

केन्द्रीय सरकार स्त्री-दशक की कोई पृथक् व्यवस्था नहीं करती। वह इस दशक को भी दशक मन्त्रालय के माध्यम से सामान्य दशक की भाँति व्यवस्थित करती है, परन्तु राश्ट्रीय महिला दशक-परिशद् की संस्तुति पर वहाँ विशेष आयोग या समिति नियुक्त करके उसकी स्थिति का सर्वेक्षण करा लेती है और स्त्री-दशक के विकास की संस्तुतियाँ स्वीकार करके एक राश्ट्रव्यापी नीति बना लेती है, जिसकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी जाती है। राज्य सरकारें उस नीति का पालन करके स्त्री-दशक की व्यवस्था करती है। राज्य सरकारें प्रदे 1 में दशक-विभाग की सहायता से सभी स्तरों की दशक की व्यवस्था, प्रासान और नियन्त्रण करती हैं। प्रदे 1 की माध्यमिक दशक का संचालन दशक-विभाग (प्रान्तीय) करता है। स्त्री-दशक की व्यवस्था के लिए प्रदे 1 के दशक विभाग में महिला दशक निदेशक उत्तरदायी होती है। निर्धारित महिलाएँ दशक निदेशक अपनी सहायतार्थ मण्डल की सीमा निर्धारित करके 'विद्यालयों की मण्डलीय निरीक्षिका' की नियुक्ति करती है। एक मण्डल के सभी कन्या विद्यालयों की दशक-व्यवस्था का प्रासानिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व उपरोक्त निरीक्षक के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस प्रकार स्त्री-दशक माध्यमिक स्तर तक दोहरे भासन में रहती है। प्रासानिक तथा नियन्त्रण की दृष्टि से स्त्री-दशक संस्थाओं को अन्य पुरुश छात्र विद्यालयों के समान जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों का पालन करना होता है तथा दूसरी ओर आर्थिक और व्यवस्थापक नियन्त्रण की दृष्टि से उन्हें जिले की सह-निरीक्षिका के आदेशों का भी पालन करना पड़ता है। इससे स्त्री-दशक के विकास में दोहरी बाधा उत्पन्न होती है।

इस विव्यापी आन्दोलन से भारतीय संविधान भी पूर्णरूपेण प्रभावित है। इसलिए ही भारत में सभी के लिए अनिवार्य दशक की घोषणा संविधान के क्रियान्वयन के साथ ही सन् 1950 में कर दी गयी थी। इन्हीं भाशाओं को लक्ष्य मानकर दशक को राश्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रगति का सुगम मार्ग माना गया है तथा इसकी अबाध प्रगति के लिए सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, समान अवसरों को जुटाया गया। इस प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यय विवाह के लिए ही नहीं भारतीय राश्ट्र की इकाई के लिए स्वर्णिम लक्ष्य माना गया। सन् 1947 में 50 प्रति लाख बालिकाएँ मिश्रित विद्यालयों में दशक ग्रहण कर रही थीं। स्वतन्त्रता के पांचाल न्याय, स्वतन्त्रता, समानता को बढ़ावा देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता हुई। साथ ही महिलाओं की भूमिका और उनकी प्रस्तुति को सीमित करने वाली सामाजिक अक्षमताओं के विरोध में कानून बनने आरम्भ हुए। 1970 के दशक से नियोजन की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी पर विशेष ध्यान देने के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। संयुक्त राश्ट्र संघ द्वारा 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करना एवं 1975 से 85 तक के दशक को महिला दशक घोषित करना महिलाओं से सम्बन्धित विशयों में एक महत्वपूर्ण कदम था। सारे विवाह का ध्यान महिलाओं की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं की तरफ आकर्षित किया गया था। दशक के अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की दिशा में महान् कार्य करने का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय विवाह संगठनों जैसे—संयुक्त राश्ट्र संघ तथा इसकी प्रमुख सहयोगी भाखा यूनेस्को को भी जाता है। संयुक्त राश्ट्र संघ ने विवाह मानवीय अधिकारों के अन्तर्गत नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार एवं सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित किये हैं। यूनेस्को द्वारा विभिन्न प्रत्येक व्यक्ति, को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15(1), 16(1), 16(2) में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की धारा-15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सरकार ने नारी उत्थान के लिए श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की स्थापना की। ऐसी आदेश की गयी कि स्त्रियों के उत्थान के लिए यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र साबित होगा। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू की गयी। वर्ष 1978-79 में 6 से 14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों में नामांकन न कराने वाली लड़कियों की संख्या 66 प्रति लाख थी। इस समय देश की राजधानी में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो स्वयंसेवी महिला संगठन कार्य कर रहे हैं, वे निम्न हैं—

(1) महिला दक्षता समिति (1976)

- (2) मानुशी (1978)
- (3) कार्मिका (1979)
- (4) अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (1981)
- (5) सहेली

ये संगठन आमतौर पर दहेज, बलात्कार, आत्महत्या, आपसी तनाव और पारिवारिक संबंध, आदि मामलों में महिलाओं और संरक्षकों को कानूनी तौर पर उचित मदद दिलाने में सहायता करते हैं।

1946–47 में 28,196 बालिका फ़िक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई जिनमें से 21,679 प्राइमरी विद्यालय, 2,370 माध्यमिक विद्यालय, 4,288 व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थाएँ 59 आर्ट्स् तथा विज्ञान कालेज थे जिनमें पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लगभग 42 लाख थी। 1971 में छात्राओं की संख्या 280 लाख हो गयी। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान छात्राओं की संख्या 1951 में जो 60 लाख थी, बढ़कर 1961 में 140 लाख हो गयी।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना उनके लिए फ़िक्षा की समुचित व्यवस्था करने की थी। इस योजना के दौरान स्त्री-फ़िक्षा के प्रसार हेतु वि. शे प्रयास तथा महिला फ़िक्षिकाओं की पूर्ति हेतु प्रयास किया गया। राष्ट्रीय फ़िक्षा नीति, 1979 में प्राइमरी फ़िक्षा को प्रथम वरीयता दी गयी तथा प्रौढ़ फ़िक्षा को द्वितीय। इसमें लड़के-लड़कियों और प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों सबको साक्षर बनाने और उन्हें सामान्य फ़िक्षा देने पर बल दिया गया। अपी इस फ़िक्षा नीति के अनुसार कार्य भुरु ही हुआ था कि केन्द्र में जनता दल के स्थान पर पुनः कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हो गयी। उसने पुनः राष्ट्रीय फ़िक्षा नीति, 1968 के अनुपालन पर बल दिया और परिणामस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में स्त्री फ़िक्षा का प्रसार कार्य जारी रखा।

भारतीय संविधान में नागरिकों के एकसमान अधिकारों एवं कर्तव्यों की वित्त व्याख्या की गयी है। इनमें से संविधान की धारा 29 (2) के अन्तर्गत स्पैश्ट किया गया है—“राज्य द्वारा पोशित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या किसी फ़िक्षा में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवे त देने से नहीं रोका जायेगा।” इस प्रकार राष्ट्रीय फ़िक्षा-प्रणाली की परिकल्पना भारतीय संविधान में दिये गये मूलभूत सिद्धान्तों से अनुप्राणित है। इन्हीं सिद्धान्तों पर लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता तथा समाजवाद की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है।

फ़िक्षा आयोग (1964–66) ने अपने विचार निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किये हैं—“जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यन्त आदर्श मानता है, जनसाधारण की हालात सुधारने तथा समस्त फ़िक्षा पाने योग्य व्यक्तियों को फ़िक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाय। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज, जिसमें निर्बल का भोशण कम से कम हो, बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन है।”

यूएनो डिक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ने वि. व विधेयों में संचेतना जाग्रत कर दी, जिससे वह मानवीय अधिकारों तथा समानता के अवसरों के प्रति सचेत हो गया। इसकी धारा 1 एवं 2 के अन्तर्गत विस्तार से कहा गया है—

धारा 1 “सभी व्यक्ति जन्म से स्वतन्त्र हैं, अतः वे सम्मानजनक तथा समान अधिकारों के हकदार हैं। वे तर्क एवं चेतना से अभिपूरित हैं तथा उन्हें परस्पर एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए।

धारा 2 “प्रत्येक व्यक्ति इस घोशणा में उद्धृत मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का हकदार है। अतः उन्हें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राजनीति, मतों द्वारा पृथक्-पृथक् नहीं किया जा सकता है।”

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पांच चातुर्थीय सरकार ने नारी फ़िक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया। नये संविधान का उद्देश्य भारत में एक ऐसे संविधान की संरचना करनी है, जो सब नागरिकों को बिना धर्म, जाति अथवा लिंग भेद के न्याय एवं समानता पर आधारित हो। इसलिए सरकार द्वारा स्त्री-फ़िक्षा के लिए प्रभाव गाली कदम उठाये गये। वर्ष 1949–50 में प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं की संख्या का प्रति वातावरण 28 था। भारत में स्वतन्त्रता के पांच चातुर्थीय फ़िक्षा के सन्दर्भ में आयोगों एवं समितियों ने निम्न सुझाव एवं कार्य किये—

राधाकृष्णन कमीशन (1948–49)—स्त्री-फ़िक्षा पर बल देते हुए कहा—“फ़िक्षित स्त्रियों के बिना फ़िक्षित व्यक्तियों के बिना स्वतन्त्रता की नहीं हो सकते।” इस आयोग ने स्त्री-फ़िक्षा के विकासार्थ कुछ सुझाव दिये।

(i) नारी को सुमाता तथा सुगृहिणी बनाने की फ़िक्षा दी जाए।

- (ii) स्त्रियों के लिए फैक्शा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। स्त्रियों की फैक्शा में वृद्धि करने हेतु उनको फैक्शा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।
- (iii) स्त्रियों को गृह-प्रबन्ध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिये जाएँ।
- (iv) अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाए।
- (v) कालेज स्तर पर सहभाक्षा को प्रोत्साहन।
- (vi) स्त्रियों और पुरुषों की फैक्शा एकसमान न हो अपितु स्त्रियों की अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए एवं उन्हें समाज में स्थान दिला सके।
- (vii) बालिकाओं हेतु भौक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

योजना आयोग-

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–55)— इस काल में स्त्री-फैक्शा के विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके परिणामस्वरूप स्कूल जाने वाली 6–11 वर्ष आयु-वर्ग की बालिकाओं की संख्या का प्रति तात वर्ष 1955–56 में 40 प्रति तात तक पहुँच गया जो कि वर्ष 1950–51 में मात्र 23.3 प्रति तात था। योजना आयोग द्वारा अत्यन्त पिछड़ी बालिकाओं तथा महिलाओं को फैक्शा प्रदान किये जाने की फैक्शा हेतु आवश्यक लक्ष्य निर्धारित किये तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उन्हें फैक्षित करने हेतु पूरे प्रयास किये। इस अवधि में बालिका फैक्शा संस्थाओं की संख्या 61 लाख से बढ़कर 81 लाख हो गयी। इस संख्या में अप्रत्यापि तात वृद्धि का कारण बालिकाओं को सहभाक्षा में प्रवेश लेना था। केवल बालिकाओं को फैक्शा देने वाली संस्थाओं की संख्या इस अवधि में क्रमांक 1: 64.78 लाख से 93 लाख तक पहुँच गयी, जो कि लगभग 42.6 प्रति तात थी।

वर्ष 1951–1956 योजना काल में स्त्री-फैक्शा के विकास हेतु सरकार द्वारा पारित कानूनों तथा वैवाहिक जीवन में मधुरता तथा समरसता बनाये रखने के लिए 1955 में बना “हिन्दू विवाह अधिनियम”, 1952 में बना विशेष विवाह अधिनियम मुख्य है, जिसमें अन्तर्जातीय विवाह को वैध घोषित किया गया तथा वर व कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 21 व 18 वर्ष निर्दिष्ट की गयी। 1954 में जब यूरोपीय संसद में प्रेरणा किया गया तो मिस जयश्री तथा श्रीडीयोर्सी भार्मा ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही भौक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी विद्यालयों में विशेष फैक्शकों की भर्ती, आदि समस्त पहलुओं पर समान रूप से नामित किया जाना चाहिए।

माध्यमिक फैक्शा आयोग (1952–53)— डॉ. ए.लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक फैक्शा आयोग (मुदालियर कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में महिला फैक्शा के महत्व को स्वीकार करते हुये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16ए के आधार पर फैक्शा और रोजगार के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता इसलिए फैक्शा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।

आयोग का मानना था कि माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों तथा पुरुषों की फैक्शा समान होनी चाहिए। स्त्री फैक्शा के विशय में आयोग के मुख्य सुझाव निम्न प्रकार हैं—

- (1) स्त्री तथा पुरुषों की समान फैक्शा की व्यवस्था।
- (2) बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, फैल्प, गृह उद्योगों, संगीत एवं चित्रकारी को स्थान।
- (3) सहभाक्षण संस्थाओं में महिला फैक्षिकाओं की नियुक्ति का सुझाव।
- (4) बालिकाओं को विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

इस प्रकार आयोग ने फैक्शा के द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन में भूमिका निभायी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)— इस काल में स्त्रियों की फैक्शा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में महिला फैक्शकों को फैक्शक प्रफैक्शन हेतु विशेष व्यवस्था की गयी, क्योंकि महिला फैक्शकों के अभाव में फैक्शा का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली स्त्रियों के लिए मकान आदि की सुविधाएँ दिये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं को फैक्शा के लिए छात्रवृत्तियाँ एवं विभिन्न राज्यों में स्त्रियों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी—

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला फैक्शकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- (ii) स्कूलों में आयाओं की नियुक्ति हेतु।

(iii) फैक्षण प्रौद्योगिकी को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(iv) रिफ्रेंजर कोर्स की व्यवस्था करना।

इस योजना काल में सरकार द्वारा पारित कानून हिन्दू माइनरिटी एण्ड गार्जियन अप ऐकट (हिन्दू अल्पवयस्कता तथा अभिभावकता अधिनियम) 1956 में बना। इस नियम ने स्त्री-फैक्षा के विकास में सहयोग किया।

राश्ट्रीय महिला फैक्षा समिति (1958)— सन् 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई दे मुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। इसको दुर्गाबाई दे मुख समिति के नाम से भी जानते हैं।

महिला फैक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई दे मुख की अध्यक्षता में 1958 में केन्द्र में 'राश्ट्रीय महिला फैक्षा परिशद' का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य स्त्री-फैक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था। इसके निर्देशन में स्त्री-फैक्षा के विकास को गति प्राप्त हुई। समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये—

(i) कुछ वर्षों तक बालिका फैक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रासादिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-फैक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, फैक्षक प्रौद्योगिकी, स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओं हेतु छात्रावास बनाये जाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

(iv) राज्यों में बालिकाओं एवं स्त्री-फैक्षा की राज्य परिशदों का निर्माण किया जाए।

(v) बालक तथा बालिका फैक्षा के लिए विशेषता को भीघ्र समाप्त किया जाए।

हंसा मेहता समिति (1962)— राश्ट्रीय महिला फैक्षा परिशद (NCWE) ने 1962 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री-फैक्षा के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। इसे 'हंसा मेहता समिति' के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने महिलाओं के साक्तीकरण हेतु उनकी फैक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये—

(1) प्राथमिक स्तर पर बालकों और बालिकों हेतु समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था।

(2) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु गृहविज्ञान के अध्ययन की सुविधा।

(3) बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक फैक्षा की व्यवस्था।

(4) किसी भी स्थिति में बालकों और बालिकाओं की फैक्षा में बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए।

भक्तवत्सलम् समिति (1963)— 1963 में 'राश्ट्रीय महिला फैक्षा परिशद' ने मद्रास के मुख्यमंत्री श्री भक्तवत्सलम् की अध्यक्षता में समिति ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की फैक्षा के सम्बन्ध में जनता के सहयोग के अभाव की जांच की। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला फैक्षा के प्रसार हेतु जनसहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसके द्वारा की गयी सिफारियों के अनुसार विवाहित महिलाओं को कम से कम पार्ट टाईम और स्कूल, मदरसा में अध्यापिका के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एवं महिला फैक्षा के प्रति विरोध समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार करने में जनता के सहयोग की मांग की। प्रचार कार्यक्रमों एवं साधनों के द्वारा राज्य सरकारें फैक्षा के प्रति जनमत बनाये। सभी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक एवं अनिवार्य रूप से की जाये। इससे बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

कोठारी आयोग (1664)— सन् 1664 में भारतीय फैक्षा पर समग्र रूप से सुझाव देने हेतु कोठारी आयोग की नियुक्ति की गयी तथा इस आयोग ने स्त्रियों की स्थिति सुधार हेतु भौक्षिक सुझाव इन भावों में दिये—

(1) 6 से 14 आयु-वर्ग के सभी लड़के—लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निः जुल्क फैक्षा की व्यवस्था की जाए।

(2) 11 से 14 आयु-वर्ग की लड़कियों के लिए अल्पकालीन फैक्षा की व्यवस्था की जाए।

(3) बालिकाओं हेतु अलग से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए।

(4) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाए।

- (5) बालिकाओं हेतु अलग से व्यावसायिक फैक्शा की व्यवस्था की जाये।
- (6) बालिकाओं के लिए अलग से महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जाये।
- (7) बालिकाओं हेतु विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।
- (8) लड़कियों को फैक्शा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजने के लिए जनमानस को तैयार करना।
- (9) अधिकृत प्रौढ़ महिलाओं की फैक्शा की व्यवस्था की जाये तथा उनके लिए अलग से प्रौढ़ फैक्शा केन्द्रों की स्थापना की जाये।
- (10) इस प्रयोजन के लिए विशेष योजनायें बनायी जाये और उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।
- (11) केन्द्र और राज्यों दोनों में स्त्री फैक्शा की निगरानी के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाये। यह संगठन सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों को स्त्री फैक्शा के कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए एक जगह लाये।
- (12) अतः यह आवश्यक होगा कि स्त्रियों को प्रौढ़ विद्यालय और रोजगार देने की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

राष्ट्रीय महिला फैक्शा परिषद् (NCWE) की वार्षिक रिपोर्ट (1970)— चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) के अन्तर्गत 1970 में राष्ट्रीय महिला फैक्शा परिषद् (NCWE) द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया—

- (1) केन्द्रीय सरकार स्त्री फैक्शा हेतु अलग से पर्याप्त धनराटा सुनिश्चित करे।
- (2) स्त्री फैक्शा के प्रसार हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली फैक्शिकाओं को प्रोत्साहित किया जाये और उन्हें अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

राष्ट्रीय फैक्शा नीति (1986)— इसमें निम्नलिखित उपाय सुझाये गये—

- (i) बालिकाओं की फैक्शा के लिए परिवेश का निर्माण करना।
- (ii) औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की फैक्शा के लिए सुविधाएँ बढ़ाना।
- (iii) वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाये, जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके।
- (iv) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- (v) निरक्षर स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जायें, जिससे स्वयंसेवी संगठन, सम्पूर्ण मानव भावित का सहयोग लिया जाये।

प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991)— बालिका फैक्शा पर समिति के सुझाव निम्नलिखित हैं—

- (i) अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए।
- (ii) विद्यालयों में पोशाण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाए।
- (iii) विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाए।
- (iv) महिला फैक्शा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए।
- (v) छात्रवृत्तियाँ, मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन अधिक से अधिक दिये जाएँ।

समानता की ओर महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति— 1971–74 की रिपोर्ट— इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने महिला सुधार से जुड़ी समस्याओं को पैदा किया। भारत सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार एवं हैसियत से जुड़े प्रबन्धों की विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता के कारण विशेष रूप से फैक्शा नीति में सुझाव दे सके। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैः—

महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी फैक्शा, रोजगार पर स्वैच्छानिक, कानूनी और प्रावश्यिक प्रावधानों के अवसर की जांच पड़ताल करना। कानून, फैक्शा, रोजगार, जनसंख्या एवं नीतियों के क्षेत्र में उन

कारकों को निर्धारित करना जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की धीमी गति के लिए उतरदायी है। समिति द्वारा महिला फैलाक्षण्य पर की गयी सिफारि १ दो भागों में बांटी गयी है

- (1) औपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारि १
- (2) अनौपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारि १।

औपचारिक व्यवस्था के तहत सहभावित काक्षा का विकास, लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम का सुझाव, विद्यालय पूर्व फैलाक्षण्य, ०६-१४ वर्ष तक सभी बच्चों के लिए फैलाक्षण्य की सार्वभौमिकता, औपचारिकता फैलाक्षण्य व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की सामाजिक प्रभाविकता को बढ़ाने की बात की जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होगी इसके तहत उन महिलाओं की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही जो, अपनी उम्र, सामाजिक जिम्मेदारी और साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक व्यवस्था तक नहीं पहुंच पायी है।

राश्ट्रीय समिति का गठन— फैलाक्षण्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं की फैलाक्षण्य हेतु गठित राश्ट्रीय समिति ने 1974 में अपनी 13वीं बैठक में निम्नलिखित सिफारि १ की—

- (i) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों तथा स्वायत्त सेवा संस्थाओं को अनुदान के रूप में स्त्री-फैलाक्षण्य विकास हेतु विशेष धनराशि १ प्रदान की जाए।
- (ii) लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हेतु विशेष सुविधाएँ करायी जाएँ।
- (iii) महिलाओं को फैलाक्षण्य प्रशिक्षण कंडेन्स कोर्स के द्वारा प्रदान किया जाए।
- (iv) स्थानीय महिलाओं को फैलाक्षण्य के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाए।
- (v) ऐसी बालिकाओं के लिए जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसे वे अनौपचारिक फैलाक्षण्य के रूप में ग्रहण कर सकें।
- (vi) महिला फैलाक्षण्यों के लिए भाहरों और नगरों में स्टाप क्वार्टर्स बनाये जाने चाहिए तथा उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने पाया कि अधिकांश महिलाएँ अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से प्रभावित हैं, परन्तु स्त्री-फैलाक्षण्य के लिए बनायी गयी योजनाएँ ठीक प्रकार से लागू न हो पायीं और महिलाओं के जीवन और फैलाक्षण्य में कोई सकारात्मक प्रगति न हो सकी।

भारतीय महिलाओं के भौक्षिक स्तर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट— १८ मई, १९७५ को यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर रखी गयी। इस पर बोलते हुए तत्कालीन फैलाक्षण्य मंत्री नुरुल हसन ने कहा, “पिछले २८ वर्षों में स्त्रियों की दाना में व्यापक सुधार आया है। उन्हें संविधान ने पूरी सुरक्षा के साथ-साथ कई भौक्षिक योजनाओं में भी सहभागी बनाया है तथा कानूनी मापदण्ड भी उनकी प्रगति में सहायक हुए हैं।”

बहस में भाग लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा—“किसी भी समाज का स्तर वहाँ की महिलाओं के स्तर से आँका जाता है। महिलाएँ आज भी पुरुश-प्रधान समाज में रह रही हैं। उन्हें जन्म से लेकर जीवनपर्यन्त हर क्षेत्र में इस मानसिकता से गुजरना पड़ता है, चाहे वह फैलाक्षण्य का क्षेत्र हो अथवा समाज में रहने की बात।

महिलाओं का निम्न स्तर अथवा उन्हें विकास की कम सुविधाएँ उपलब्ध कराना समाज को विकलांग बना देता है। संसद में स्त्रियों की दाना की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हुए राजा देव पाण्डे ने कहा कि यह वर्ष महिला वर्ष है। मैं जानना चाहूँगी कि सरकार महिलाओं के बारे में क्या सोच रही है। यदि आपका उत्तर है कि आप उन्हें पुरुशों के समान ही स्तर प्रदान कर रहे हैं तो मैं आपके प्रति आभारी हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से स्थानों पर ऐसे स्कूल तथा हॉस्टल हैं, जहाँ बालिकाएँ स्वयं रहकर पढ़-लिख सकती हैं, परन्तु यदि गाँवों में जाकर हम बालिकाओं की फैलाक्षण्य के बारे में देखें तो स्थिति पूर्णतः विपरीत है। वहाँ बालिकाओं को विद्यालय भेजना किसी पर उपकार समझते हैं। हमें यह स्थिति बदलनी होगी। ऐसे में हम विद्यालय तथा छात्रावासों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जहाँ बालिकाओं को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हों। विशेष रूप से इस महिला वर्ष में हमें बालिकाओं की फैलाक्षण्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।”

राश्ट्रीय महिला आयोग— सन १९९० में राश्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एवं पाँच पूर्णकालिक सदस्य थे। यह आयोग ३१ जनवरी, १९९२ से प्रभावी हुआ। इस आयोग को निम्न कार्य सौंपे गये—

- (i) महिलाओं को जो कानूनी सुरक्षा प्रदान की गयी है, उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना।

- (ii) महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अपर्याप्त या त्रुटि पर सं गोधन के भी सुझाव देना।
- (iii) महिलाओं की फ़िक्रायतों पर ध्यान देना एवं जहाँ कानूनों का उल्लंघन होता है वहाँ समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारी तक पहुँचाना।
- (iv) महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएँ बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेना।
- (v) सुधार गृहों, जेलखानों व अन्य स्थानों पर उनके पुनर्वास तथा दाग सुधारने के बारे में सिफारि फॉर्म करना।

राश्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग ने 7–8 अक्टूबर, 1992 को बालिकाओं से बलात्कार विशय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिसमें घृणित अपराध की घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर विचार किया गया था। मार्च, 1993 में इंलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए महिला परिषेक्ष्य पर गोश्टी हुई, जिससे समाचार पत्रों व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

प्रोग्राम ऑफ एक अन (1992)— प्रोग्राम ऑफ एक अन (1992) में महिला साक्षितकरण के तहत किये गये प्रयासों में महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविवास बढ़ाना राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदानों को पहचान कर, फ़िक्राया, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास करना प्रमुख है। यह ध्यान में रखते हुये कि महिलाओं की सभी क्षेत्रों में बराबर भागीदारी हों, कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुँच हो, तथा उनके अधिकारों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना तथा समाज में जिन अधिकारों के वे हकदार हैं उन्हें दिलाना है।

राश्ट्रीय महिला साक्षितकरण नीति (2001)— लड़कियों की फ़िक्राया और महिलाओं के साक्षितकरण का मुद्दा राश्ट्रीय महिला साक्षितकरण नीति, 2001 ने उठाया, वह इस प्रकार है— एक तरफ संविधान, विधानों, नीतियों एवं योजनाओं में प्रतिपादित लक्ष्यों और दूसरी ओर भारत में महिलाओं की रिथिति के सम्बन्ध में परिस्थिति जन्य साक्ष्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अन्तर है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट समानता की ओर में इसका विस्तृत रूप से विलेशण किया गया है।

जेण्डर सम्बन्धी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है जिसमें सबसे प्रमुख है— लिंगानुपात में गिरावट, सामाजिक रुद्धिवादी सोच एवं बालिकाओं के प्रति भेदभाव, भारत के कई भागों में आज भी जारी है। इसके तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए फ़िक्राया तक समान पहुँच को सुनिश्चित करने, भेदभाव खत्म करने, फ़िक्राया को जन-जन तक पहुँचाने, निरक्षरता दूर करने, लिंग संवेदी फ़िक्राया पद्धति बनाने, लड़कियों का नामांकन बढ़ाने, महिलाओं द्वारा रोजगार और तकनीकी कौशल के साथ-साथ जीवन पर्यन्त फ़िक्राया को सुलभ बनाने के लिए फ़िक्राया की गुणवता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जायेंगे। माध्यमिक और उच्च फ़िक्राया में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जायेगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में से एक के रूप में लैंगिक रुद्धिबद्धता का समाधान करने के लिए फ़िक्राया पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जायेंगे।

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद महिला फ़िक्राया के महत्व को स्वीकार करते हुये कई आयोगों और समितियों का गठन किया। इसके तहत महिला फ़िक्राया के मार्ग में बाधक तत्वों को पहचान कर इनके निवारण के लिए कई सुझाव भी दिये। जो इस प्रकार हैं—

लड़कियों की फ़िक्राया, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी फ़िक्राया— 2005— असम के मुख्यमन्त्री तरुण गोगोई की अध्यक्षता में गठित समिति में स्त्री फ़िक्राया भी एक मुद्दा था। इस समिति का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को कम करने वाली विशेष नीतियों और प्रावधानों का परीक्षण करना एवं फ़िक्राया के सभी क्षेत्रों में लड़कियों एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके अनुसार महिलाओं को दी जाने वाली फ़िक्राया के प्रति यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करने की आवश्यकता है जिससे जन्मदर को नियंत्रित करें, बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, गिरती फ़िक्राया और प्रावधानों को फ़िक्राया करने की जरूरत है। आज भी फ़िक्राया लिंग आधारित रुद्धिवादिता से ग्रसित है। लड़कियों की फ़िक्राया के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति को केवल उनके नामांकन और स्कूल में रुकने मात्र तक सीमित कर नहीं देखा जाये बल्कि सभी विशयों और स्तरों पर भी उनकी उपलब्धि और प्रदर्शन को देखा जाये तथा महिला फ़िक्राया को प्रारम्भिक स्तर से उपर भी सुनिश्चित किया जाये।

नई फ़िक्राया नीति (2020)—

नई फ़िक्राया नीति, 2020 में महिलाओं की फ़िक्राया हेतु निम्न प्रावधान है—

- बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुँच प्रदान की जाएगी।

2. जहां विद्यालय अधिक दूरी पर है, ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों, वहां नि उल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी।
3. कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो पहले से ही भारत सरकार की योजना है उसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण विकाश वाले विद्यालयों में 12 वीं स्तर तक विस्तार किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।
4. छात्राओं की भागीदारी और सुरक्षा की दृश्टि से ऐसे उपाय किए जाएंगे, जिससे वह विद्यालयों से जुड़ी रहे जैसे अधिक दूरी वाले स्थानों पर छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी तथा फीस आदि न भर पाने की स्थिति में उनके माता-पिता एवं अभिभवकों को सर्वत्र नगद हस्तांतरण किया जाएगा ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना ना पड़े।
5. विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण, भौतिक सुविधाएं विशेषकर स्वच्छता, भौचालय आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां विद्यालय सह विकाश वाले हैं, वहां अलग भौचालय आदि अन्य बुनियादी सुविधाएं एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।
6. स्कूल में नामांकित सभी बच्चे विशेषकर बालिकाओं, कि गोरों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर मुद्दों जैसे कई प्रकार के भेदभाव उत्पीड़न तथा उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर कुल तंत्र के साथ प्राथमिकता दी जाएगी।
7. बालिकाओं और ड्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन करने की बात एक नया और क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर समावेशी कोश राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण स्वरूप वातावरण मिल सके।
8. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, हालांकि यह प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए है किन्तु बालिकाओं को उसका विशेष लाभ मिलेगा जो विद्यालय नहीं जा सकती वह भी विकाश प्राप्त कर सकेंगी।
9. व्यवसायिक विशेषायों, स्थानीय भाशाओं, इनडोर एवं आउटडोर खेल, चित्रकला, कठपुतली, इत्यादि, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों आदि को नयी विकाश नीति में जोड़ा जाएगा जिससे विद्यार्थी विशेषकर बालिकाओं में रुचि विकसित होगी और वह विद्यालय से जुड़ी रहे।
10. उच्चतम विकाश संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
11. उच्चतर विकाश संस्थाओं के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान संवेदन ग्रील और समावेशीत किया जाएगा।
12. परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर विकाश संस्थाओं में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे।
13. उच्च विकाश संस्थाओं को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा “लोक विधाओं” में समित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी इससे उच्च विकाश में महिलाएं अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकें।

इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की विकाश में भागीदारी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई राश्ट्रीय विकाश नीति में विशेष प्रावधान है। विकाश के सभी स्तरों में लिंग संतुलन, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण विकाश, परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा, अधिक छात्रवृत्तियां आदि नीति जागरूक और संवेदन ग्रील है।

उपसंहार— उपरोक्त योजनाओं के साथ-साथ महिला विकाश के लिए समय-समय पर सरकार ने महिला समस्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, गोरा देवी कन्याधन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, राश्ट्रीय महिला संवितकरण मि न, सर्वेश्वरी विकाश अभियान, उड़ान आदि योजनायें भी चलायी हैं। अभी तक हमें लगभग प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव दिखायी दे रहा है। इसलिए अभी भी संविधान द्वारा तय किया गया समानता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत अध्ययन एवं विशेषज्ञ की आवश्यकता है। समाज इन भेदभावों के प्रति, संवेदन ग्रील एवं विन्तन ग्रील हो, महिला स्वरूप अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और यह तभी संभव होगा जब उनकी पंहुच विकाश तक होगी। लड़कियों को विकाश करने की उपयोगिता को रुढ़िबद्ध दायरों में ही रखकर देखने के स्थान पर उनकी विकाश को बौद्धिक तौर पर स्वतन्त्र होने से जोड़कर देखना होगा तभी विकाश का लक्ष्य संवैधानिक लक्ष्यों से मिल पायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. अग्रवाल, एम० & गोयल आर० (सन् नहीं)। लिंग, विद्यालय और समाज। मेरठ: आर० लाल बुक डियो।
2. अग्रवाल, जे० सी० (1981)। थ्योरी एण्ड प्रिसिपल ऑफ एजुके इन। नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस पीवीटी एलटीडी।
3. आविदीन जे० (2014)। स्वतन्त्र भारत में महिला फ़िल्म के विकास हेतु प्रयास। आर्यावर्त भाष्य विकास पत्रिका, वाल्यूम-1 न०(2)
4. कपिल, एच०के० & सिंह, ममता (2013)। सांख्यिकी के मूल तत्व। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
5. कुमारी, वी० (2017)। भारत में नारी फ़िल्म की स्थिति। इन्टरने अनल जनरल ऑफ साइन्टिफिक रिसर्च इन साइन्स, इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी। वाल्यूम-3(IV)
6. कौल, लोके ठ (2012)। भौक्तिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली। नोएडा: विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
7. गेरैट, एच०ई० (2000)। फ़िल्म और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग। लुधियाना: कल्याणी पब्लिशर्स।
8. गुप्ता, एस० (2005)। एजूके इन इमरजिंग इण्डिया। दिल्ली: फ़िल्म पब्लिकेशन।
9. चौबे, एस० पी० (1972)। तुलनात्मक फ़िल्म। आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
10. थौर्प, एस०, थौर्प, एड० (2003)। पियर्सन सामान्य ज्ञान कोश। चण्डीगढ़: पीर्यसन।
11. पलोड, सुनिता & लाल, आर०बी० (2008)। भौक्तिक चिन्तन एवं प्रयोग। मेरठ: आर०लाल बुक डिपो।
12. पाठक, पी०डी (2007)। भारतीय फ़िल्म और उसकी समस्याएँ। आगरा-2: विनोद पुस्तक मन्दिर।
13. पाण्डे, आर० (2001)। भौक्तिक निबन्ध। आगरा-2: विनोद पुस्तक मन्दिर।
14. बेस्ट, जे०डब्ल्यू० & कान्ह, जे० वी० (2014)। रिसर्च इन एजूके इन। दिल्ली: पी०एच०आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
15. भट्टाचार्य, जी०सी० (2017)। अध्यापक फ़िल्म। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
16. राय, पी० & राय, सी० पी० (2012)। अनुसंधान परिचय। आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
17. मुखर्जी, एस०एन० (1958)। इन इन्ट्रोडक्शन इन टू इन्डियन एजुके इन। बड़ौदा: आचार्य बुक डिपो।

वेबसाइट

www.amarujala.com

www.drishtiias.com

<https://www.education.gov.in>

<https://pib.gov.in>

www.sodhganga.inflibnet.ac.in

<https://udiseplus.gov.in>